16/3/26

पत्रावली देखा गया। पत्रावली पर कथन सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त संक्षिप्त में इतना उल्लेख है कि आ० पत्र निरस्त कर उपधारा उपधारा अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया है।

पक्षकार अपील का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलोचना। प्रतीत अपील आज दिनांक 23/11/25 को उपस्थित नहीं होने का कोई ठोस व उचित कारण पेश नहीं किये जाने के कारण आ० पत्र 09 R 7 CPC व 151 CPC निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आ० पत्र 09 R 7 CPC व 151 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली पैनल अपील नंबर के क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश उनाम्य भाषी।

[illegible]
अधिवक्ता
करौली (राज०)